BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIII | 26th September 2012 | No. 11

वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल ने कहा

"यहाँ बिताया समय ही लगता है अपना"

बैठक में स्वागत सम्बोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। उनकी बायीं ओर क्रमशः वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल एवं चैम्बर के महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका। उनकी दायीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं उपाध्यक्ष श्री नन्हे कुमार

वेदांता ग्रुप के अध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल के साथ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 15 सितम्बर, 2012 को एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की।

सर्वप्रथम चैम्बर अध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ देकर श्री अनिल अग्रवाल का स्वागत किया। अपने स्वागत सम्बोधन में उन्होंने कहा कि श्री अग्रवाल का स्वागत करते हुए उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये पटना के ही हैं और आज उद्योग जगत की महान हस्ती के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने कहा श्री अग्रवाल का पटना का फर्म आर्यान इण्डस्ट्रीज चैम्बर का सदस्य था।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने अपने स्नेहिल उद्गार व्यक्त करते हुए पुरानी यादें ताजा की एवं उद्योग जगत में उन्हें और उँचाई प्राप्त करने की शुभकामनाएँ दी। पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने भी अपने उद्गार व्यक्त किये। कई सदस्यों ने उनसे उनकी सफलता का राज भी जानना चाहा।

श्री अनिल अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की वकालत करते हुए कहा कि बिहार के लोग कोई भी काम करने का माद्दा रखते हैं। मजबूत हाथों के साथ लोग दिमाग वाले भी होते हैं। केन्द्र सरकार को बिहार की सहायता करनी चाहिए। इस राज्य का सौभाग्य है कि विकास पसन्द एवं इसके लिए निरन्तर तत्पर रहने वाला व्यक्ति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पावर सेक्टर में मुख्यमंत्री काफी काम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्र के उद्यमियों/निवेशकों को उन्होंने गारन्टी दी है, उन्हें पावर की परेशानी नहीं होगी। ऐसे माहौल में व्यवसाय का आनन्द ही कुछ अलग है। जब मैं पटना में था तो ऐसी स्थिति नहीं थी।

उन्होंने कहा कि बिहार के उद्यमी भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह को विशेष महत्व देते हैं। हमारे समय में उद्योग एवं व्यापार के लोगों को ऐसा कुछ नहीं था। हमारी कम्पनी प्राकृतिक संसाधनों पर काम करती है। राज्य में इसकी कमी है। चीनी के क्षेत्र में यहाँ काफी संभावनाएँ हैं। ब्राजील जैसे देश की इकोनोमी चीनी उद्योग पर ही आधारित है। हम संभावनाएँ तलाशेंगे कि किस क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेहनती व्यापारी कम पूंजी में अपनी और राज्य की बेहतरी के लिए काम कर सकता है। उद्योग शुरू करने से पहले सरकार की प्राथमिकता जरूर जान लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सफलता कोई शार्टकट नहीं होता। बड़ी सोच में ही आगे बढ़ा जा सकता है। हर आदमी जीवन में आगे बढ़ सकता है, बस जरूरत है लगन व शुरूआती असफलताओं से न घबराकर लगातार लगे रहने की।

अपने बीते समय की बात बताते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि वे पटना के गोरिया टोली में रहते थे एवं मिलर स्कूल से प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अग्रवाल के अनुसार मुंबई एवं विलायत का जीवन आज भी उन्हें सपने सा लगता है। पटना में बिताया समय ही अपना लगता है। चाहे वे कहीं भी गए हों पर पटना के लोगों जैसे उद्यमिता की क्षमता उन्होंने कहीं नहीं देखी। 80 के दशक के संघर्ष के दिनों के विषय में बताते हुए कहा कि मुंबई में शुरूआती 10 साल काफी तकलीफ में गुजरे। कल्बादेवी में 7 रुपये प्रतिदिन बेड में रहे। दस-दस काम में असफल हुए। पिताजी को मुझपर काफी भरोसा था, कभी डाउन नहीं होने दिया। उनका काफी सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, वह आप सभी लोगों के स्नेह एवं आशीर्वाद का ही प्रतिफल है।

कार्यक्रम के दौरान श्री अनिल अग्रवाल की जीवनी एवं कारोबार से जुड़ी जानकारी युक्त एक फिल्म भी दिखाई गयी । चैम्बर की तरफ से अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने चैम्बर का प्रतीक चिन्ह भी श्री अग्रवाल को भेंट किया ।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री नन्हे कुमार, महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं श्री डी० पी० लोहिया, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधियों सहित चैम्बर सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे । महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम सम्पन्न हुआ ।

मुख्य आयकर आयुक्त का चैम्बर में अभिनन्दन

'चैम्बर हमारा एक साझेदार' — मुख्य आयकर आयुक्त

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 18 सितम्बर, 2012 को मुख्य आयकर आयुक्त श्री सुशील कुमार सहाय का अभिनन्दन किया गया । इस अवसर पर आयकर अन्वेषन के महानिदेशक श्री नारायण प्रसाद भगत, आयकर आयुक्त श्री एस० डी० झा, संयुक्त आयुक्त श्री यू० एस० अग्रवाल तथा आयकर अधिकारी श्री मनीष वर्मा भी उपस्थित थे ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने मुख्य आयकर आयुक्त एवं महानिदेशक आयकर अन्वेषन का पुष्प-गुच्छ देकर स्वागत किया । अपने स्वागत सम्बोधन में श्री साह ने कहा कि हम मुख्य आयकर आयुक्त के आभारी हैं जिन्होनें अपना कीमती समय हमें दिया ताकि हम उनका अभिनन्दन कर सकें । आज की बैठक सिर्फ स्वागत हेतु रखी गयी है । आज कोई मांग या सुझाव नहीं है, उसके लिए हम फिर मुख्य आयकर आयुक्त से एक बैठक हेतु समय का अनुरोध करेंगे । वैसे आयकर विभाग ने सदैव ही चैम्बर के सुझावों पर गौर किया है एवं जो कुछ विभाग के स्तर पर हो सकता था, विभाग ने किया है ।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री पी० के० अग्रवाल एवं श्री डी० पी० लोहिया ने भी मुख्य आयकर आयुक्त श्री सहाय के प्रति अपने उद्‌गार व्यक्त किये ।

मुख्य आयकर आयुक्त श्री सहाय ने कहा कि आयकर विभाग बिहार चैम्बर आफॅ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को एक सहयोगी संस्थान के रूप में देखता है इसके अन्तर्गत विभाग चैम्बर का सम्बन्ध कर संग्रह के लिए केन्द्रीय राजकोष के साझेदार की तरह ही है । अब आयकर विभाग के कार्य निष्पादन में बदलाव आया है और विभाग प्रवर्तन इकाई से सेवा प्रदाता के रूप में उदित हुआ है । ऐसे में विभाग आपसे एक संस्था के रूप में सकारात्मक सलाह की अपेक्षा करता है । उन्होंने चैम्बर के सदस्यों से कहा कि जरूरत पड़ने पर कार्यालय में भी उनसे मिल सकते हैं ।

आयकर अन्वेषन महानिदेशक श्री नारायण प्रसाद भगत ने कहा कि चैम्बर के सदस्यों को प्रदेश में बाहरी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए कुछ पहल करनी चाहिए । इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री नन्हे कुमार, महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका सहित चैम्बर के काफी सदस्य उपस्थित थे । महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका ने धन्यवाद ज्ञापन किया ।

मुम्बई से आ रहे पूर्वोत्तर के यात्रियों के बीच चैम्बर द्वारा फूड पैकेट का वितरण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज द्वारा लोकमान्य तिलक-गौहाटी एक्सप्रेस से मुम्बई से आ रहे पूर्वोत्तर के रेल यात्रियो के बीच पटना जंक्शन पर 1800 फुड पैकेट, पानी आदि का वितरण किया गया । इस संबंध में जानकारी देते हुये चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने बताया कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यह प्रयास अफ़वाह के कारण दहशत के शिकार असम एवं अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों के निवासियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना तथा मानवीय दायित्व का निर्वहन करना था । उन्होंने जानकारी दी कि फुड पैकेट में पूड़ी, सब्जी, अचार एवं मिठाई दी गई साथ ही पानी के पैकेट भी यात्रियों में वितरित किये । "हम सब एक है " के स्लोगन से सजे पैकेट के माध्यम से चैम्बर ने सशंकित एवं परेशान पूर्वोत्तर के यात्रियों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया। इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष ओ० पी० साह, उपाध्यक्ष गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं नन्हे कुमार महामंत्री संजय कुमार खेमका, कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष पी के अग्रवाल के साथ-साथ बड़ी संख्या में चैम्बर के सदस्य उपस्थित थे।

(साभार : सन्मार्ग १९.०८.२०१२)

(चैम्बर द्वारा फूड पैकेट्स का वितरण दो दिन (दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2012) किया गया ।

राज्य हित में है बैंकों का काली सूची में डालना : चैम्बर

राज्य हित में कार्य नहीं करनेवाले बैंकों को काली सूची में डाले जाने के सरकार के निर्णय का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने स्वागत किया है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ० पी० साह ने ऐसे सामयिक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय कुछ बैंकों के आवश्यकता से काफी कम ऋण जमा अनुपात एवं उनके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को समुचित वित्तीय पोषण नहीं कर पाने के आलोक में लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार ऐसे बैंकों को राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कोई जमा नहीं दिया जाएगा । साथ ही पूर्व से इन बैंकों में जमा राशि की भी निकासी कर ली जाएगी। वंचित किए गए बैंकों की सूची में यूनाइटेड बैंक, इंडियन बैंक, औरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सीस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर और लैण्ड डेवलपमेंट बैक शामिल हैं। सरकार ने सात और ऐसे बैंकों को भी चिन्हित किया है जिसकी कार्यप्रणाली संतोषप्रद नहीं हैं । राज्य सरकार ने उन्हें कार्यप्रणाली बेहतर बनाने हेतु चेतावनी दी है। श्री साह ने कहा कि बैंकों के द्वारा राज्य में शोषण का यह रवैया राज्य के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। कृषि, मछली पालन डेयरी, मुर्गी पालन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाना, बिहार की अर्थव्यवस्था को गंभीर रुप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की मांग रही है कि नन परफॉरमिंग वाले बैंकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ उचित काररवाई की जाये ।

"सुविधा" में हो रही असुविधा पर चैम्बर के तर्कों से वाणिज्य-कर आयुक्त हुए सहमत

वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार के साथ ''सुविधा'' में हो रही असुविधा के संबंध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की एक बैठक हुई । इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज के तर्कों से सहमत होते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त ने माह अप्रील, मई, जून 2012 की बिक्री राशि माह जुलाई एवं अगस्त 2012 के अनुपात में रखकर इस पर अनुपातिक रूप से वैट भुगतान नहीं करनेवाले व्यवसायियों के ''सुविधा'' को डिजेबल करने के विषय में जो विभागीय आदेश जारी हुआ था उसमें संशोधन करते हुए अप्रील, मई, जून की वास्तविक बिक्री पर वैट का भुगतान करने एवं जुलाई और अगस्त में मंगाये गये माल की बिक्री के कर का तत्काल भुगतान कर देने पर जिन व्यवसायियों की ''सुविधा'' व्यवस्था डिजेबल कर दिया गया था उनकी ''सुविधा'' व्यवस्था को पुनरबहाल करने की सहमति दी है ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने इसके लिए वाणिज्य-कर आयुक्त, बिहार को धन्यवाद देते हुए कहा कि वाणिज्य-कर आयुक्त का यह निर्णय प्रदेश के राजस्व हित एवं सुगम व्यवसाय में सहायक होगा । बिहार चैम्बर आफॅ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज ने ''सुविधा'' प्रणाली लागू करने का खुले दिल से स्वागत किया है एवं इसके सफल क्रियान्वयन में चैम्बर का सक्रिय सहयोग रहा है । इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ सही तरीके से व्यापार करनेवालों को बढ़ावा मिलेगा ।

श्री साह ने व्यवसायियों से अनुरोध किया है कि वे माह अगस्त 2012 तक के वैट का भुगतान अविलम्ब कर दें जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े ।

पहली उद्यमी अदालत 28 को

उद्यमियों की सुविधा के लिए हर माह उद्यमी अदातल लगायी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के उद्योग विभाग में एक 'फीडबैक एण्ड रिड्रेसल सेल ' का गठन किया गया है। उद्यमी अदालत में ई-मेल से भी आवेदन दिये जा सकते है । 28 सितम्बर को पहली उद्यमी अदालत विभाग के सभागार में आयोजित होगी । उद्योग विभाग के प्रधान सचिव अफजल अमानुल्लाह ने उद्योग विभाग का कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये ।

बैठक में उन्होने कहा कि औद्योगिक नीति 2011 एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति का शत-प्रतिशत पालन किया जाए । इससे राज्य में निवेश की गति को बढावा मिलेगा । उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि सभी मामले पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और समयबद्ध तरीके से निपटाये जाएं । उद्योग विभाग में अपनी पहली बैठक में उन्होंने बिहार चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और कान्फेडरेशन ऑफ

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश के लिए घातक

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्र सरकार द्वारा खुदरा क्षेत्र में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दिए जाने के निर्णय पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था की आड़ में खुदरा क्षेत्र में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर केन्द्र सरकार ने एक ऐसी प्रतिस्पर्द्धा देश में शुरू कर दी है जिसका खामियाजा छोटे खुदरा व्यवसायियों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें यह याद रखना चाहिए कि अधिकतर छोटे व्यवसायी स्वरोजगार के लिए अपना व्यवसाय करते हैं तथा केन्द्र सरकार का यह निर्णय उन लाखों व्यवसायियों को बेरोजगार कर सकता है।

चैम्बर अध्यक्ष ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध करने का निर्णय पूर्णत: वास्तविकता पर आधारित है। ऐसे सामयिक एवं सही निर्णय लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार पुन: सिद्ध कर दिया है कि वे जन मानस के हितों के सबसे बड़े रक्षक हैं क्योंकि केन्द्र सरकार का खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय सामान्य रूप से कृषकों, व्यवसायियों एवं उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के खुदरा क्षेत्र में घुसपैठ का पूर्णत: विरोध करता है क्योंकि इससे लाखों खुदरा व्यापारी एवं उद्यमी बर्बाद हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि चैम्बर मूलभूत सुविधाओं या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विरोध नहीं करता बल्कि इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वागत करता है जो कि देश में पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के सृजन हेतु अत्यावश्यक है। परन्तु खुदरा क्षेत्र में ऐसे निवेश देश के छोटे एवं मध्यम स्तर के खुदरा व्यापारियों के लिए बहुत ही हानिकारक होगा जो

प्रदेश में 38 नये उद्योगों को मंजूरी

500 करोड़ से अधिक का होगा निवेश

बिहार निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने प्रदेश में 38 नयी औद्योगिक इकाइयां लगाने की मंजूरी दी है। इन इकाइयों की स्थापना पर 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा।

निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के तहत गरखा (छपरा) में 143 करोड़ रुपये की लागत से उच्च शैक्षणिक संस्थान व मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। कहलगांव में 130 करोड़ रुपये की लागत से कोयला आधारित 20 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट लगेगा। महुआ में 24 करोड़ रुपये की लागत से फल व सब्जी संरक्षण शीतगृह का निर्माण होगा। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चावल, मसाला, आटा मिलों की स्थापना के साथ इन सभी इकाइयों को अगस्त महीने में ही मंजूरी दी गयी है। इस तरह नीतीश सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 838 औद्योगिक इकाइयां लगाने की मंजूरी दी गयी है। फतुहा में चावल व दाल के साथ मसाला पाउडर की इकाइयों की स्थापना होगी। निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने इसी माह 13 तारीख को 38 नयी इकाइयों को हरी झंडी दी है। पर्षद द्वारा स्वीकृत इकाइयों में विशेष रुप से गन्ना आधारित उद्योग और नये बिजलीघरों की स्थापना के लिए निवेश को केन्द्र की नीति व रवैये के कारण झटका लगा है। गन्ना से सीधे इथेनॉल बनाने हेतु 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मंजूर हैं। इसी प्रकार नये थर्मल के लिए भी निवेश प्रस्ताव मंजूर किये गये थे। केन्द्र द्वारा सीधे इथेनॉल बनाने की राज्य सरकार की नीति व इससे संबंधित कानून बनाने पर केन्द्र ने सहमति नहीं दी। कोल लिंकेज नहीं मिलने के कारण भी नये थर्मल बनाने का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। राज्य सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के साथ सभी जिलों में कृषि उत्पाद के मद्देनजर अलग-अलग उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन देने की योजना मंजूर की है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा 28.08.2012)

अब 30 दिन में इश्यू होगा पासपोर्ट

आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और अब तक आपका पासपोर्ट तैयार नहीं हुआ है तो घबराइए नहीं, पासपोर्ट के लिए अब आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा। फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब पासपोर्ट तैयार करने के लिए टाइम लिमिट तय कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अप्लाई करने के 30 दिन के भीतर पासपोर्ट की डिलीवरी कंपलसरी होगी। वहीं पासपोर्ट दोबारा इश्यू करने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। इसके अलावा, अर्जेंट एप्लीकेशंस के मामले में एक से सात दिन के भीतर पासपोर्ट इश्यू हो जाएगा।

(साभार : आई नेक्स्ट 22.08.2012)

उद्योग व निवेश सलाहकार परिषद की बैठक में जुटीं औद्योगिक और कॉरपोरेट जगत की हस्तियां

दिग्गज बोले, बढ़ रहा बिहार

सूबे में निवेश की रणनीति पर 15.9.2012 को सरकार और उद्योग जगत के दिग्गजों के बीच तीन घंटे तक मंथन चला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य उद्योग एवं निवेश सलाहकार परिषद की इस पहली बैठक में प्रमुख ओद्योगिक घरानों और कॉरपोरेट जगत की प्रमुख हस्तियों का जुटान हुआ। इंफोसिस व आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष केवी कामत, एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारीख, एसबीआई के अध्यक्ष प्रतीप चौधरी और सेबी के अध्यक्ष यूके सिन्हा समेत सभी दिग्गज सूबे के विकास से खासे प्रभावित नजर आए। ये सभी परिषद के सदस्य भी हैं।

मुख्यमंत्री सचिवालय के 'संवाद' में हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उद्योगपतियों ने बिहार के विकास की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि चार-पांच साल से दो अंकों की विकास दर यह दर्शाता है कि राज्य का समग्र विकास ठोस धरातल पर टिका है। न सिर्फ कानून-व्यवस्था सुधरी है बल्कि पूरा माहौल भी निवेश के अनुकूल है। आधारभूत संरचना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कें बनी हैं और रोड ट्रांसपोर्ट की संरचना में उल्लेखनीय सुधार आया है। अब औद्योगिक क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित करने की दहलीज पर यह सूबा खड़ा है। ऐसे में हमारा भी हर संभव सहयोग रहेगा और सूबे की औद्योगिक तस्वीर बदलने में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

बिहार के विकास को तीव्र गति देने के लिए भरपूर बिजली की जरुरत भी इन सबने महसूस की। बैठक की बातचीत के केन्द्र में बिजली रही और इस पर एक घंटे तक चर्चा हुई। कई बड़े बैंकों के मुखिया ने बिजली की जरुरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। बैंकों के प्रमुखों ने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में वे किसी भी तरह के प्रस्ताव का स्वागत करेंगे और जितनी भी जरुरत होगी लोन देंगे। औद्योगिक विकास के लिए नए विचारों को लागू करने मे सरकार की संवेदनशीलता और औद्योगिक नीतियों में लगातार सुधार के प्रयासों की भी सराहना की गई। मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि बैठक में निवेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबने माना कि पर्यटन की यहां अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में जो मुद्दे उठे हैं उस पर होमवर्क के बाद सरकार जल्द ही परिषद की दूसरी बैठक बुलाएगी। इसके लिए स्थान और समय बाद में तय होगा

बिहार में पावर सेक्टर के विकास के लिए हमारा बैंक हर संभव सहयोग करेगा। दो माह बाद हम फिर मिलेंगे और आगे की निवेश योजनओं को लागू करने पर विचार करेंगे।
– के वी कामत, अध्यक्ष, आईसीआईसीआई बैंक

विकास की इतनी रफ्तार मैंने नहीं देखी। सूबे में अब हमारे उत्पादन से जुडी जरुरतों को पूरा करने वाले भी अपना उद्योग लगा रहे हैं। जल्द ही हम भी काम का विस्तार करेंगे।
– विनीता बाली, एमडी, ब्रिटेनिया

वेदांता समूह राज्य में निवेश करने के लिए तैयार है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हमारा समूह राज्य सरकार को सौ करोड़ रुपए देगा।
– अनिल अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वेदांता समूह

मैक्स समूह पटना में विश्वस्तरीय अस्पताल खोलेगा। इस पर ३०० से ३५० करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इस राशि में जमीन पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है।
– अनलजीत सिंह, मैक्स समूह के अध्यक्ष

पहली बार हुई ठोस पहल : सीएम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग एवं निवेश सलाहकार परिषद के सदस्य के रुप में इसकी बैठक में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सूबे के औद्योगिकीकरण के लिए पहली बार ठोस पहले हुई है। एक मंच पर उद्योग और वित्त जगत की प्रमुख हस्तियां जमा हुई हैं। राज्य के युवकों के कौशल विकास और उनके लिए नई संभावनाएं तलाशने में इनकी मदद जरुरी है। उद्योग जगत के इन प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों और शुभचिंतकों को एक मंच पर लाने का मकसद राज्य के विकास के लिए योजना बनाने में सहायता प्रदान करना है।

प्रदेश में निवेश बढ़ाने की रणनीति पर विचार : (1) सभी ने एक स्वर में कहा– बिहार समग्र विकास के ठोस धरातल पर है (2) प्रमुख हस्तियों ने माना, राज्य का माहौल पूरी तरह निवेश के अनुकूल (3) बैंकों ने दिया भरोसा, बिजली उत्पादन व पर्यटन के विकास में करेंगे मदद (4) मुख्य सचिव ने कहा – दो-तीन माह के भीतर फिर होगी निवेश परिषद की बैठक।

(साभार:हिन्दुस्तान16.09.2012)

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1934 (श०)

(सं० पटना 428) पटना, सोमवार 27 अगस्त 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 अगस्त 2012

सं० एल०जी०-1-12/2012/लेज: 373-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 16 अगस्त 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा

(बिहार अधिनियम 14,2012)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2012

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :- (1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगा।

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27.2005) की धारा -16 में संशोधन:- (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-16 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा -

"परतु जब किसी माह के लिए खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन निवेश कर प्रतिदाय के लिए दावा उसी माह के लिए उत्पादन कर से अधिक होता है, तो ऐसा आधिक्य पश्चातवर्ती माहों के उत्पादन कर के विरुद्ध समायोजन के लिए अग्रणित किया जायेगा:

(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 27,2005) की धारा -16 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक के उपरांत निम्नलिखित दो नये परंतुक अंत:स्थापित किये जायेंगे, यथा-

"परंतु यह और कि निवेश कर क्रेडिट का कोई आधिक्य उस वर्ष जिसमें वह उद्भूत हुआ था की समाप्ति के दो वर्षों के बाद के उत्पादन कर के विरुद्ध समायोजन हेतु अग्रसारित नहीं किया जायेगा एवं निवेश कर प्रतिदाय की ऐसी राशि जो उक्त अवधि के समाप्ति पर असमायोजित रह जाती है को इस अधिनियम की धारा -68 धारा-69 धारा-69क और धारा-71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यवहारी को ऐसे आधिक्य के संबंध में विवरणी दाखिल किये जाने के तीन माह के भीतर प्रतिदाय किया जायेगा :

परंतु और भी कि द्वितीय परन्तुक के अधीन निवेष कर प्रतिदाय की कोई राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के पश्चात् किसी माह के उत्पादन कर से समायोजन हेतु तब तक अग्रसारित नहीं की जायेगी जब तक दावा करने वाला व्यवसायी विहित की गई सूचना एवं साक्ष्य दाखिल नहीं करता।"

३. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम,२००५ (अधिनियम २७,२००५) की धारा-२५ में संशोधन– (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-25 की उप -धारा (1) के खंड (ङ) के अंत में पूर्णविराम "।" को अर्द्धविराम "," से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) इस प्रकार प्रतिस्थापित "," के पश्चात् बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम,2005 (अधिनियम 27.2005) की धारा -25 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (च) अंत:स्थापित किया जायेगा:-

"(च) विवरणी में निवेश कर प्रतिदाय एवं कटौती के अन्य दावों के समर्थन में विहित की गई सूचना एवं साक्ष्य विहित रीति से दाखिल की गई है।"

(3) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-25 की उप धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप- धारा (1क) अंतर्विष्ट किया जायेगा, यथा: -

"(1 क) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही की ऐसी हर विवणी जिसके संबंध में निवेश कर -प्रतिदाय की राशि उत्पादन कर की राशि से अधिक हो, यथाविहित रीति एवं समय से दाखिल किये जाने के तीन माह के भीतर संविक्षित की जायेगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा
सरकार के सचिव।

22 श्रवण 1934 (श०)

(सं० पटना 390) पटना, सोमवार 13 अगस्त 2012

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

07 अगस्त 2012

सं० बिक्री-कर / विविध -43/2011/5772-बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के नियम 41 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुत आयुक्त, वाणिज्य-कर-अधिनियम के अधीन किसी निंबधित व्यवसायी द्वारा अथवा उनकी ओर से राज्य के बाहर से माल मंगाये जाने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 5350, दिनांक 05 जुलाई 2012 में दिए गए निदेशों के अतिरिक्त निम्न निदेश निर्गत करते हैं :-

(1) किसी सम्प्रेषण के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या निम्न पिरिस्थितियों में विभागीय कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित नहीं की जाएगी: -

(क) आवेदक द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या केन्दीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 या बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 द्वारा अपेक्षित किसी सम्यक् रुप से भरे हुए विवरणी के दाखिल किए जाने में व्यतिक्रम किया गया है, अथवा

(ख) आवेदक द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 या केन्दीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 या बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 के अधीन दाखिल की गयी किसी विवरणी या, यथास्थिति, संशोधित विवरणी के अनुसार भुगतेय कर के भुगतान में व्यतिक्रम किया गया है, अथवा

(ग) आवेदक द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 द्वारा अपेक्षित सम्यक् रुप से भरे हुए कर अंकेक्षण प्रतिवेदन के दाखिल किए जाने में व्यतिक्रम किया गया है, अथवा

(घ) विभागीय अधिसूचना संख्या 5350, दिनांक 05 जुलाई, 2012 में दिए गए निदेशों के अधीन निर्गत इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या के आधार पर राज्य के बाहर से किसी विवरणी-अवधि में आयातित मालों के मूल्य (उस अवधि के लिए मार्गस्थ परंतु अप्राप्त मालों के मूल्य द्वारा यथा सामंजित) से कम राशि आवेदक द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन दाखिल विवरणी के प्रासंगिक स्तम्भों में प्रतिवेदित की गई हो।

2. किसी त्रैमास की समाप्ति के समय आयातित किये जानेवाले किसी माल के मार्गस्थ होने की दशा में आवेदक द्वारा विभागीय वेब-साईट पर उपलब्ध Goods in transit statement **अपलोड किया जाना होगा।**

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 5350, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से मालों के आयात हेतु विभागीय वेब-साईट पर इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार पहचान संख्या के सृजन हेतु वेब-साईट पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र को अंगिक्रत किया जाता है।

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधीर कुमार
वाणिज्य-कर-आयुक्त।

चैम्बर के नाम में परिवर्त्तन

"द बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स" के नाम में परिवर्तन हो गया है । अब यह *"बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज"* के नाम जाना जायगा । इसकी अनुमति रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से मिल चुकी है। नाम परिवर्त्तन के पश्चात् नया निगमन प्रमाण-पत्र आपकी सूचना हेतु निम्नानुसार उद्धृत है–

भारत सरकार–कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, बिहार

नाम परिवर्तन के पश्चात् नया निगमन प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U91110BR1926NPL000023

मैसर्स BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
के मामले मे, मैं एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैसर्स
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
जो मूल रुप में दिनांक चार जून उन्नीस सौ छब्बीस को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अतर्गत एक विद्यमान कम्पनी है और मैसर्स
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
के रुप में निगमित की गई थी, ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 की शर्तों के अनुसार विधिवत आवश्यक विनियश्चय् पारित करके तथा लिखित रुप में यह सूचित करके की उसे भारत का अनुमोदन, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 21 के साथ पठित, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं सा का नि 507 (अ) दिनांक 24.6.1985 एस.आर.एन. B45239605 दिनांक 14.8.2012 के द्वारा प्राप्त हो गया है, उक्त कम्पनी का नाम आज परिवतित रुप में मैसर्स
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
हो गया है और यह प्रमाण-पत्र, कथित अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसरण में जारी किया जाता है ।

यह प्रमाण-पत्र पटना में आज दिनांक चौदह अगस्त दो हजार बारह को जारी किया जाता है।

GOVERNMENT OF INDIA - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Registrar of Companies, Bihar

Fresh Certificate of Incorporation Consequent upon Change of Name

Corporate Identity Number : U91110BR1926NPL000023

In the matter of M/s BIHAR CHAMBER OF COMMERCE

I hereby certify that BIHAR CHAMBER OF COMMERCE which was originally incorporated on Fourth day of June Nineteen Hundred Twenty Six being an exiting company as per section 3 of the Companies Act, 1956 as BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES having duly passed the necessary resolution in terms of section 21 of the Companies Act, 1956 and the approval of the Central Government signified in writing having been accorded thereto under section 21 of the Companies Act, 1956 read with Government of India, Department of Company Affairs, New Delhi, Notification No G.S.R.507 (E) dated 24/06/ 1985 vide SRN B45239605 dated 14/08/2012 the name of the said company is this day changed to BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES and this Certificate is issued pursuant to Section 23 (1) of the said Act.

Given at Patna this Fourteenth day of August Two Thousand Twelve.

Registrar of Companies, Bihar

कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार

Note : The corresponding form has been approved by O P SHARMA, Deputy Registrar of Companies and this certificate has been digitally signed by the Registrar through a system generated digital signature under rule 5(2) of the Companies (Electronic Filing and Authentication of Documents) Rules, 2006.

The digitally signed certificate can be verified at the Ministry website (www. mca. gov .in)

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध पत्राचार का पता:

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office :

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
KHEM CHAND CHAUDHARY MARG, POST BOX NO.71
PATNA - 800001, Bihar (INDIA)

आरबीआई का बैंकों को निर्देश

अपने ग्राहकों को सिर्फ मल्टी सिटी चेक मुहैया कराएं

देश में अब कहीं भी भुनेगा चेक

क्या है मल्टी सिटी चेक: ऐट-पार या मल्टी सिटी चेक का अर्थ है कि इसे देशभर में समान बैंक की किसी भी शाखा में भुनाया जा सकता है।

क्या होगा फायदा: मल्टी सिटी चेक को देश भर में किसी भी शहर में समान बैंक की किसी भी शाखा से भुनाया जा सकता है। इससे आउटस्टेशन (दूसरे शहर) चेक के क्लियर होने में लगने वाला काफी समय बचेगा।

क्यों लिया फैसला: रिजर्व बैंक ने यह निर्देश कुछ बैंकों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद लिया जिसमें कहा गया था कि वे सिर्फ बड़ी पूंजी वाले ग्राहकों को ही मल्टी सिटी चेक जारी करते हैं या अमूक राशि के ऊपर जमा पर ही इस तरह का चेक जारी करते हैं।

क्या है उद्देश्य: केन्द्रीय बैंक चाहता है कि तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि देशभर में पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाया जाए और उपभोक्ता सेवा को और बेहतर बनाया जाए।

सेविंग अकाउंट होगें जीरो बैलेंस: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे शून्य शेष वाले (नो फ्रिल) खाते की पहचान समाप्त कर इसके स्थान पर मूल बचत खाते में ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बैंकों से कहा गया है कि वे मूल बैंक खाते में ही एटीएम और डेबिट कार्ड के साथ-साथ शून्य बकाया सुविधा का भी लाभ दें। केन्द्रीय बैंक ने नो-फ्रिल शब्द से जुड़े धब्बे को हटाने और समूचे बैंकिंग तंत्र में मूल बैंकिंग सुविधाओं को और अधिक समानता प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

2007 में रिजर्व बैंक ने सीबीएस सुविधा से लैस बैंकों को अपने पात्र और अनुरोध करने वाले ग्राहकों को मल्टी सिटी चेक प्रदान करने के लिए कहा था।

35 हजार सीबीएस सुविधा से लैस शाखाएं हैं देशभर में

(साभार: हिन्दुस्तान 11.08.2012)

48 घंटे में चेक क्लीयर होना चाहिए

आरबीआई ने फिर जारी किया नोटिफिकेशन

देरी पर सेविंग्स अकाउंट्स की तरह मिलेगा इंट्रेस्ट

चेक के क्लियरेंस में लगने वाले समय को लेकर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका चेक अधिक से अधिक 48 घंटे में 'क्लीयर' हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक आपको सेविंग अकाउंट्स पर मिलने वाले इंट्रेस्ट के बराबर भुगतान करेंगे। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों से चेकों की वसूली में लगने वाले समय और देरी होने पर फाइन के बारे में कस्टमर्स को जानकारी देने को कहा है।

२००८ में जारी किया था सर्कुलर

इस बारे में नवंबर 2008 में आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया था, लेकिन सही तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं किए जाने से उसे फिर से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि बैंकों को चेक कलेक्शन पॉलिसी में लोकल और बाहरी चेकों की वसूली में लगने वाले समय के साथ-साथ चेक का पैसा कस्टमर के अकाउंट खाते में पहुंचने में देरी होने पर उसके फाइन भरने के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था करने को कहा गया था। इस पर बैंकों की पॉलिसी को देखने के बाद पता चला कि चेकों की वसूली में देरी पर फाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी को देखते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

रेयर कंडीशन में हो सकता है डिले

अधिकारी ने कहा कि आम लोगों की भाषा में अगर कहा जाए तो इस अरेंजमेंट से कोई भी चेक कॉमन कंडीशन में 48 घंटे में क्लीयर हो जाएगा। अगर चेक शुक्रवार को शाम 4 बजे डाला जाता है या फिर हड़ताल जैसी कोई

पैसा न निकले तो.....

कई बार एटीएम से पैसा निकालने जाइए, तो पैसा नहीं निकलता, पर आपके खाते में से घट जाता है। ऐसे में क्या करें?

सबसे पहले उस शाखा में शिकायत दर्ज करायें, जिसमें आपका खाता है। संबंधित एटीएम की नजदीकी शाखा में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दर्ज शिकायत की एक

कॉपी अपने पास जरूर रखें। कई बैंकों के एटीएम में टेलीफोन भी होते हैं, जिनसे कॉल करके आप सीधे बैंक के कॉल सेंटर को पैसा न निकलने की सूचना दे सकते हैं। अगर बैंक को सूचना देने के 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो आप भारतीय रिजर्व बैंक या बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए इस लिंक पर जायें : http://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent. aspx? id=159 । रिजर्व बैंक ने ऐसी शिकायतों के संबंध में सख्त नियम बनाये हैं। इन नियमों के मुताबिक, ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज कराने के 12 दिनों के भीतर उसे अपने फंसे हुए पैसे वापस मिल जाने चाहिए, अगर कोई बैंक 12 दिनों के अंदर पैसा ग्राहक को नहीं देता, तो उसके बाद उसे 100 रुपये

पेशा कर चुकाने के लिए हो जाइए तैयार

मुख्यमंत्री से लेकर वर्ग तीन के कर्मियों को इस माह पेशा कर देना होगा। वाणिज्य कर विभाग ने इस वर्ष 110 करोड़ रुपये पेशा कर के रूप में वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष से पेशा कर वसूलने की जिम्मेवारी विभाग को दी गयी है। पिछले साल 36.5 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। सरकार ने इस वर्ष सितंबर से फरवरी 2013 तक कर वसूली करने का प्रावधान किया है लेकिन अंतिम समय में होने वाले अफरातफरी से बचने के लिए सभी कर दाताओं से इसी माह अपने कर का भुगतान करने का अनुरोध किया है। पेशा कर की वसूली मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आइएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ग्रुप सी तक के कर्मियों से किया जाना है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक आदि को कर की परीधि में रखा गया है। ग्रुप डी, किसान व सैन्य बल व पूर्व सैनिकों को कर के दायरे से बाहर रखा गया है।

किसेकितनादेनाहैकर: 0 से 3 लाख (1000 रुपये) • 3 से 5 लाख (2000

पटना में दिखेगी हीरे की चमक

बिहार सरकार अब पटना को हीरा तराशने के केन्द्र के रुप में विकसित करने में जुट गई है। इस तरफ निवेशकों का आना भी शुरु हो गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने राजधानी पटना में इस क्षेत्र के एक निवेशक को जमीन भी मुहैया कराई है। साथ ही राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए पटना के आस-पास एक केंद्र (डायमंड कटिंग सेंटर) स्थापित करने की योजना बनाई है ।

आनेलगेनिवेश: राज्य के उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'देश में हीरे की तराशी का बड़ा उद्योग है। हालांकि यह अभी तक सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में ही केंद्रित है। हम बिहार में भी इस उद्योग को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं । हमारे पास निवेशकों के प्रस्ताव भी आए है।' उन्होंने बताया, 'जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस बारे में कुछ निवेशकों ने राज्य में निवेश करने की इच्छा जताई थी । हम उनके साथ लगातर संपर्क में है । एक निवेशक को हमने पटना में पाटलिपुत्र औद्योगिक केंद्र में जमीन भी मुहैया करा दी है । इसके लिए कई अन्य निवेशकों के साथ हमारी बातचीत चल रही है । हालांकि बातचीत अभी शुरूआती स्तर पर है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती । राज्य सरकार ने इसी महीने मुंबई की एक कंपनी, श्रीनुज प्राइवेट लिमिटेड को जमीन उपलब्ध कराई है । कंपनी ने इस साल नवंबर से कारखने के निर्माण की योजना बनाई हैं । कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक यह कारखाना अगले डेढ़-दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा । प्रवक्ता ने बताया,' यह फैसला हमने काफी सोच-समझकर लिया है। इस बारे में हम बीते दो साल से विशेषज्ञों के साथ बात कर रहे थे । राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार आया है और यहां इस क्षेत्र के लिए बड़ी तादाद में कुशल श्रमिक भी हैं। साथ ही बिहार आभूषण के बड़े बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। इससे मांग अच्छी-खासी रहेगी । ऐसे में यहां इकाई लगाना हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा ।' *(विस्तार:बिजनेसस्टैंडर्ड27.08.2012)*

वाहन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन में पेंच

वाहनों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा डीलरों के प्रतिष्ठान पर किए जाने का मामला भुगतान के पेंच में अटक सकता है । परिवहन विभाग ने सख्ती करते हुए सभी जिला परिवहन अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जिन वाहन डीलरों ने ट्रेड टैक्स की वार्षिक राशि जमा नहीं करायी है उनके डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को तत्काल प्रभाव से रद कर दिया जाये । अगर किसी डीलर के ट्रेड टैक्स का भुगतान अद्यतन नहीं है तो ऐसे डीलरों द्वारा बेची गाड़ियों का भुगतान तब तक नहीं किया जाये जब तक वह पेनाल्टी के साथ ट्रेड टैक्स का भुगतान नहीं कर देता

नए रजिस्ट्रेशन में नहीं लगेगी स्टाम्प फीस

वाणिज्य कर विभाग व्यापारियों को एक और राहत देने जा रहा है। विभाग द्वारा यह विचार किया जा रहा है कि नए रजिस्ट्रेशन के समय वाणिज्य कर विभाग में जो स्टाम्प फीस लगती थी, वह अब व्यापारियों को नहीं देना पड़े।

उम्मीद की जा रही है कि नई व्यवस्था अगले एक-दो महीने में लागू कर दी जाएगी। इधर सरकार ने व्यापारियों के लिए एक नई व्यवस्था की है। इसके तहत अगर नए व्यापारी के पास कोई लायबिलीटी नहीं है, इसके बावजूद अगर वह व्यापार शुरू करने के लिए वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसे विभाग को 10 हजार रुपये की बैंक गारंटी देनी होगी। यह राशि रिफंडेबल होगी। रजिस्ट्रेशन वापसी के समय यह राशि वापस कर दी जाएगी। बिना बैंक गारंटी दिए वाणिज्य कर विभाग में निबंधन नहीं होगा।

वाणिज्य कर विभाग में नए रजिस्ट्रेशन के समय व्यापारियों को वैट में निबंधन कराने के लिए 100 रुपये एवं सीएसटी निबंधन में 125 रुपये की स्टाम्प फीस लगती थी, उसे खत्म करने के लिए सरकार विचार कर रही है । सब कुछ ठीक रहा तो एक-दो महीने में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों से वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। फिलहाल इसकी संख्या बढ़कर 1 लाख 90 हजार तक हो गई है।

(साभार:हिन्दुस्तान2.09.2012)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना

ग्राहकों की सेवा हेतु सूचना

हेल्पलाईन नं. 9430807821

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत उपभोक्तागण विद्युत विपत्र सम्बन्धी शिकायत हेल्पलाईन मोबाइल नं. 9430807821 पर कार्य दिवसों को 10.00 बजे पूर्वाहन से 5.00 संध्या तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि सर्वप्रथम अपने आपूर्ति अवर प्रमण्डल /प्रमण्डल में लिखित शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों तक शिकायत निष्पादन न होने के पश्चात हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज करायें ।

हेल्पलाईन पर निम्नलिखित शिकायत दर्ज की जाती है :

(1) बिल दोष में सुधार नहीं हो रहा हो (2) मीटर रीडिंग में सुधार नहीं हो रहा हो (3) बिल नहीं मिल रहा हो (4) विद्युत विपत्र का ऑन लाइन भुगतान (www.bebbills.org) से सम्बन्धित समस्या (5) बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा हो (6) कनेक्शन मिलने के बाद बिल नहीं आता हो (7) लोड वृद्धि के बाद भी बिल लोड वृद्धि के अनुसार नहीं बनता हो (8)खराब मीटर को नहीं बदला जा रहा हो (9) तार गिरने आदि से विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सूचना दर्ज होने के पश्चात् भी आपूर्ति बहाली नहीं की जा रही हो (10) ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत करने के पश्चात ट्रांसफार्मर को नहीं बदला जा रहा हो।

(साभार:हिन्दुस्तान4.09.2012)

निजी वाहनों का नहीं होगा व्यावसायिक उपयोग

परिवहन विभाग ने निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने का फरमान फिर से जारी किया है। विभाग के प्रधान सचिव रजनीश कुमार महाजन ने सभी जिला परिवहन पदाधिकायिों (डीटीओ) को निर्देश दिया है कि निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर हर हाल में रोक लगे । ऐसे वाहनों की नियमित रूप से सघन जांच की जाए । *(साभार:हिन्दुस्तान2.09.2012)*

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

आवश्यक सूचना

विभागीय अधिसूचना संख्या - 6259 दिनांक 06.09.2012 को आलोक में अन्तर्राज्यीय क्रय हेतु वांछित केन्द्रीय प्रपत्र 'सी' दिनांक 06.09.2012 के प्रभाव से विभागीय कम्प्यूटर सिस्टम के द्वारा ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निर्गत किया जा रहा है । व्यवसायियों की सुविधा के लिए सर्वश्री टी.सी.एस. लि. के हेल्प लाइन के टॉल फ्री नम्बर 18003456102 के अतिरिक्त निम्नांकित मोबाईल नम्बरों 9334401238 (श्री शशि रंजन तिवारी) एवं 9431214678 (श्री राजीव मिश्र) पर सम्पर्क कर सकते हैं। व्यवसायी अगर चाहें तो वाणिज्य -कर मुख्यालय, विकास भवन, पटना के कमरा संख्या -38 में ऊपर वर्णित नम्बरों पर कार्यालय अवधि में टी.सी.एस. के हेल्प डेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं या vattcs. helpdesk@gmail.com पर ई- मेल कर सकते हैं ।

वाणिज्य-करआयुक्तसह-प्रधानसचिव

(साभार:दैनिकजागरण14.09.2012) बिहार, पटना

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

राज्य से होकर गुजरने वाले सभी वाहनों को 16.07.2012 से ण्चमतउपज (वहती) अर्थात् 'सुविधा' टोकन नम्बर लेकर चलना आवश्यक है ।

राज्य में निम्न सीमावर्ती स्थानों पर समेकित जाँच चौकियाँ कार्यरत हैं -

कर्मनाशा (जिला- कैमूर) एन० एच० 02
डोभी (जिला- गया) एन० एच० 02
जलालपुर (जिला- गोपालगंज) एन० एच० 28
रजौली (जिला- नवादा) एन० एच० 31
दालकोला (जिला- पूर्णिया) एन० एच० 34

सभी जाँच चौकियों पर तीनों पालियों में दोनो तरफ (प्दबवउपदह एवं व्नजहवपदह) वाहन की जाँच की जा रही है।

राज्य से होकर गुजरने वाले सभी व्यवसायिक माल वाहन 'सुविधा' Token Number दिखा कर Entry Check Post पर Entry दर्ज करायेंगे और निर्धारित अवधि में Exit Check Post पर Exit दर्ज करायेंगे।

हेल्प डेस्क नं0
1800 3456 102
समय : 10 बजे पूर्वा. से 06.00 बजे अप.
सोमवार से शनिवार

अधिक जानकारी के लिए www.biharcommercialtax.gov.in *पर लॉगऑन करें या* vattcs.helpdesk@gmail.com *पर मेल करें।*

(साभार: हिन्दुस्तान4.08.2012)

90 दिन के क्रेडिट पर मिलेगा कच्चा माल

केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) मंत्रालय के संयुक्त सचिव सी० के० मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने बिहार में भी काम शुरू कर दिया है। पटना के डॉक्टर्स कॉलोनी (कंकड़बाग) में खुली निगम की शाखा से छोटी, सूक्ष्म और मंझोली इकाइयों के लिए फिलहाल कच्चे माल की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके लिए उद्यमियों को बैंक गारंटी पर 90 दिन के लिए क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। यह जानकारी उन्होंने राज्य में एमएसएमई की संभावनाओं पर उद्यमियों के साथ चर्चा के दौरान दी।

छोटीइकाइयोंकोलाभ

ख एनएसआईसी ने बिहार में भी शुरू किया काम ख केन्द्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की फ्लैगशिप कंपनी है एनएसआईसी ख इकाइयां क्रेडिट रेटिंग के लिए उठाएं विशेष सुविधा का लाभ *—सी0के0मिश्रा*

क्याहोगाफायदा

• कम पूंजी वाली इकाइयों के लिए बड़े सरकारी टेंडर में मदद • टेंडर फॉर्म मुफ्त, अर्नेस्ट राशि और सिक्योरिटी जमा माफ • सरकारी खरीदारी में इनके उत्पादों को 20 फीसदी आरक्षण • छोटी इकाइयों का समूह बनाकर बड़े काम हासिल करना • उत्पादों के लिए मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम में आर्थिक मदद।

(विस्तार: हिन्दुस्तान25.08.2012)

डीजल 85 पैसे सस्ता

राज्यकैबिनेटकाफैसला: • राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं खासकर किसानों को अपने स्तर से दी राहत • डीजल पर वैट की नई दर अब 18 की जगह 16 प्रतिशत होगी, इससे डीजल 85 पैसे सस्ता होगा। *(साभार: हिन्दुस्तान21.*

मनोनयन

चैम्बर के सदस्य श्री ताज बहादुर सिंह जैन को राज्य सरकार ने बिहार राज्य अल्प संख्यक आयोग के सत्र 2012-15 हेतु सदस्य मनोनीत किया है। चैम्बर की ओर से श्री जैन को हार्दिक बधाईयाँ।

चैम्बर के सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद जो बिहार फेन्सिंग (तलवारबाजी) एसोसिएशन के संस्थापक सचिव हैं। साउथ एशियन फेन्सिंग फेडरेशन के महासचिव मनोनीत किये गये हैं। श्री प्रसाद 1995 में भारतीय तलवारबाजी संघ के संयुक्त सचिव बने। 2000-05 तक संघ के कोषाध्यक्ष भी रहे। 2006 के दोहा एशियाई खेल में भारतीय तलवारबाजी के मैनेजर भी थे। चैम्बर की ओर से श्री प्रसाद को हार्दिक बधाईयाँ।

व्यापारियों को सम्मानित करेगी सरकार

तीन वर्षों से नियमित टैक्स देने वालों को वाणिज्य कर रत्न व भामासाह सम्मान

वाणिज्य कर विभाग ऐसे व्यापारियों को भामासाह सम्मान व वाणिज्य कर रत्न से सम्मानित करेगा, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से विभाग को नियमित टैक्स दिया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए लगभग 300 व्यापारियों का चयन किया है। बताया जाता है कि सम्मानित व्यापारियों को सरकार की ओर से कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी राशि का निर्धारण नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि अगले एक-दो महीने में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

मिलनेवालीसुविधाएं

वाणिज्य कर विभाग सम्मानित होने वाले व्यापारियों के गोदाम का अगले एक साल तक निरीक्षण नहीं करेगा। अगर किसी कारण से निरीक्षण करने का मामला बनता है तो इसके लिए विभाग के अधिकारियों को पूर्व में ही वाणिज्य कर आयुक्त से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सम्मानित व्यापारियों द्वारा दाखिल किसी भी आवेदन पत्र पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। यदि आवेदन न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित हो तो भी 30 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यापारियों को बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम के अधीन विभागीय अंकेक्षण से भी एक वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य या प्रमंडलीय वैट सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया जाएगा।

किसेदियाजाएगासम्मान

अधिकारियों ने बताया कि विभाग से निबंधित असंगठित वर्ग के ऐसे सभी व्यापारी जो पिछले तीन वर्षों से कर का भुगतान औसतन 25 प्रतिशत की वृद्धि दर से किया हो या फिर उस अवधि के दौरान जिनका कोई भी वित्तीय वर्ष की वृद्धि दर 20 प्रतिशत से कम नहीं हो, सम्मानित होंगे।

इसके अलावा संगठित क्षेत्र के वैसे व्यापारी जो एक करोड़ रुपये से अधिक कर का भुगतान करते हैं एवं पिछले तीन वर्षों से कर का भुगतान औसतन 20 प्रतिशत से से अधिक किया हो। विभाग द्वारा इस बात की भी जानकारी मिली है जिन्होंने पिछले दो वर्षों में विवरणी दाखिल करने या कर भुगतान करने में बिना

निवेदन

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सदस्यता शुल्क अधिकांश सदस्यों ने भेज दिया है। वैसे सदस्य जिन्होंने अभी तक अपना सदस्यता शुल्क नहीं भेजा हो, उनसे विनम्र निवेदन है कि अपना सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजने की

EDITORIAL BOARD

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635, Fax No. : 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296